

क्रमांक: 117/1243/2017/20-3

भोपाल, दि. 24/6/2017

प्रति, सचिव
सी०बी०एस०ई०
नई दिल्ली।

विषय: अणुसूचीय संस्थाओं को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति पत्र देने कायदा।

राज्य शासन एतद्वारा शासकीय संस्था- (1) एलएनसीटी चर्लस स्कूल, भोपाल (2) एलएनसीटी चर्लस स्कूल इन्दौर (3) जय ज्योति स्कूल मिर्गरी, जिला शिवगंजी (4) जीव पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सागर (5) द विलेज एलिमेंट्री पब्लिक स्कूल घरमगढ़ पोरसा, गुरेना (6) स्कालर्स पब्लिक स्कूल जाधरा, जिला राजलगा (7) देवाश्री पब्लिक स्कूल करौली, जिला नरसिंहपुर (8) द रायल इंकोल स्कूल वलमाबी पलारी रोड, जिला सिवनी (9) बिल्गावाण हाई इन्टरनेशनल स्कूल रोवा, जिला रोवा, मध्य प्रदेश को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता है:-

- (1) प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएं स्थापित हो चुकी है, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को निम्न शर्तें इस हेतु संस्थाओं की कार्यकारिणी में म०प्र० माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाय।
- (2) विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान छात्रवास भवन सुविधा आदि आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से रचना पत्र लिखाया जाय।
- (3) इस संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
- (4) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरान्त भी मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
- (5) संस्था की प्रबंध कार्यकारी समिति में म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।
- (6) प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला व आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे।


निरन्तर- 2

Recd
14/9/17
Secretary
Jain Public Hr.Sec.School
Sagar (M. P.)

Secretary
Jain Public Hr.Sec.School
Sagar (M. P.)

Principal
Jain Public Hr. Sec. School
Sagar (M. P.)

- (7) अन्ताराष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का प्रवेश संबंधी विषय प्रकृति तथा विचारित शुल्क तथा समय प्रकाशन किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क देने में बालकों का शोधन नहीं किया जायेगा।
- (8) छात्र संस्थाओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तकें एवं अन्य सामग्री शुल्क का भार से ग्रहण करने की सुविधा रहेगी। किसी सुसज्जित विद्यालय में कार्य करने की व्यवस्था नहीं रहेगी।
- (9) शिक्षण संस्थाओं में मानव उद्योग व्यापकता का प्रवेश दिये गये विदेशों के अनुसार किताबों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का ध्यान संस्थाओं को करना होगा।
- (10) संस्था के छात्रों को उनके विद्यालय तक लाने एवं वापिस लाने का प्रबंधन के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य साहनों को ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयुक्त किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसी ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एलपीजी आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
- (11) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रैम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिक्षा विभाग द्वारा सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
- (12) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(प्रमोद सिंह) 28/6/17
उप सचिव

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दि० 28/6/2017

पृ० क्रमांक-118/1243/2017/20-3
प्रतिनिधि:-

- (1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।
- (2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।
- (3) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-भोपाल/इंदौर/सिंगरौली/सागर/मुरैना/रतलाम/नरसिंह एर/सिवनी/रीवा, म०प्र०

निरन्तर..3


Secretary

Jain Public Hr. Sec. School
Sagar (M. P.)


Principal

Jain Public Hr. Sec. School
Sagar (M. P.)

जिला स्तरीयक, माध्यम पाठ्य, राज्य शिक्षा विभाग, भोपाळ।
 पाठ्यां, अध्यापकीय संस्था (१) एलएनसीटी वेल्ड स्कूल, भोपाळ (२)
 एलएनसीटी वेल्ड स्कूल इंदौर (३) जय ज्योति स्कूल विगरी, जिला
 सिंगरी (४) जैन पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल सागर (५) द. विलास
 एलएनसीटी पब्लिक स्कूल धरमगढ़ पोरसा, मुरेवा (६) स्कालर्स पब्लिक
 स्कूल जावरा, जिला स्तलाम (७) रैवाथी पब्लिक स्कूल करेली, जिला
 नरसिंहपुर (८) द. रायल इंकोल स्कूल बटवानी प्रलारी रोड, जिला
 सिधनी (९) बिनाबांग हाई इन्टरनेशनल स्कूल रीवा, जिला रीवा, म०५०

(८) पत्रोत्तर प्रति
 सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

[Signature]
 १५/९/१७

उप सचिव

म०५० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Recd. &
 noted.
[Signature]
 15/9/2017
 Secretary
 Jain Public Hr. Sec. School
 Sagar (M. P.)

[Signature]
 Principal
 Jain Public Hr. Sec. School
 Sagar (M. P.)
[Signature]
 Principal
 Jain Public Hr. Sec. School
 Sagar (M. P.)

[Signature]
 Secretary
 Jain Public Hr. Sec. School
 Sagar (M. P.)

[Signature]
 Secretary
 Jain Public Hr. Sec. School
 Sagar (M. P.)